राष्ट्रीय संगोष्ठी

"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न : चुनौतियॉ एवं समाधान"

"Sexual Harassment at Workplace : Challenges and Solution"

प्रायोजक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

5 फरवरी, 2017

विधि विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

पंजीकरण फार्म

नाम : .....

पदनाम : .....

संस्था : .....

पत्र व्यवहार का पता : .....

.....

दूरभाष सं० : .....

ईमेल : .....

पंजीकरण शुल्क (नगद) : .....

आवास सुविधा : (हॉ/नही): .....

शोध पत्र का शीर्षक : .....

.....

.....

दिनांक :

स्थान : हस्ताक्षर

नोट : पंजीकरण हेतु इस पंजीकरण फार्म की छायाप्रति भी मान्य है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, और यहॉ से मुख्य बस अडडे की दूरी मात्र 01 किमी० की है। लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर 20 किमी० की दूरी पर अवस्थित है। फरवरी माह में यहां की जलवायु सामान्य से थोड़ी अधिक ठण्डी होती है तथा औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बाहर के प्रतिभागीगण अपने साथ आवश्यक गर्म कपड़े लाये।

संरक्षक

डॉ० पृथ्वीश नाग
कुलपति
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

श्री ओम प्रकाश
कुलसचिव
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

आयोजन समिति

प्रो० सुरेन्द्र बहादुर सिंह : संकायाध्यक्ष
विधि संकाय
(09415352855)

प्रो० चतुर्भुज नाथ तिवारी : विभागाध्यक्ष/संयोजक
(09451738732)

डॉ० रंजन कुमार : आयोजन सचिव
(09450182006)

राष्ट्रीय संगोष्ठी

विषय

"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न : चुनौतियॉ एवं समाधान"

"Sexual Harassment at Workplace : Challenges and Solution"

प्रायोजक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

5 फरवरी, 2017

आयोजक

विधि विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी –221002 (उ०प्र०)
e-mail : lawmgkvpvaranasi@gmail.com

आमन्त्रण

प्रिय प्रतिभागीगण,

महिला यौन उत्पीड़न एक ऐसा अपराध है जो प्राचीन काल से समाज में व्याप्त है। सभ्यता के विकास एवं आधुनिकीकरण के साथ–साथ जिस स्त्री/महिला को पूज्य माना जाता था वर्तमान समय में उसके साथ प्रतिदिन छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाए आम हो गयी है। संसद द्वारा बनाये गये अनेक कानूनो एवं सशक्त न्यायपालिका होने के बावजूद महिला हिंसा बढ़ती ही जा रही है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये क्योकि इसके पूर्व कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध कोई कानून नही था। इस निर्णय ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा व इसे रोकने के लिए कार्यस्थलों के नियोक्ता व अन्य जिम्मेदार व्यक्ति तथा संस्थानों को यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ दिशा–निर्देश दिये।

विशाखा मामले में न्यायमूर्ति जे०एस० वर्मा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित सम्प्रेक्षण किया है –

1. शारीरिक सम्पर्क या संकेतो से।
2. यौन कार्य की याचना या अनुरोध।
3. यौन सूचक टिप्पणियॉ।
4. अश्लील साहित्य दिखाना।
5. अन्य आवांछित, शारीरिक या गैर शाब्दिक यौन जनित व्यवहार के रूप में व्यक्त किये गये हो।

वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालय का यह सम्प्रेक्षण यही दर्शाता है कि आज कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर किन–किन रूपों "यौन प्रताड़ना" का शिकार होना पड़ता है, इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न केवल गम्भीर अपराध अपितु एक महिला के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन माना।

संगोष्ठी के विचारणीय बिन्दु

1. यौन उत्पीड़न के लिए नीतियॉ एवं उनका कार्यान्वयन।
2. यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित विधि।
3. शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न।
4. यौन उत्पीड़न एवं मानवाधिकार।
5. यौन उत्पीड़न एवं भारत की संवैधानिक विधि।
6. यौन उत्पीड़न एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
7. यौन उत्पीड़न के रोकथाम में गैर सरकारी संगठनो की भूमिका।
8. नियोक्ता का दायित्व एवं यौन उत्पीड़न का रोकथाम।
9. यौन उत्पीड़न एवं चुनौतियॉ।
10. यौन उत्पीड़न एवं समाधान।
11. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का रोकथाम एक चुनौती के रूप में।
12. पुलिस अभिरक्षा में यौन उत्पीड़न।
13. यौन उत्पीड़न एवं अपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013

संगोष्ठी शोध–पत्र

एक दिवसीय संगोष्ठी में सम्पूर्ण भारत से विद्वानों को आदरपूर्वक प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया गया है। सभी प्रतिभागीगण से अनुरोध है कि लगभग 200 शब्दों में सारांशिका 20 जनवरी, 2017 या इसके पूर्व एवं पूर्ण शोध पत्र जो कि 3000 शब्दों सें अधिकतम न हो को 25 जनवरी, 2017 या इसके पूर्व M.S.Word Times New Roman Font Size 12 अंगेजी हेतु तथा कृति देव –10, फाण्ट साइज 16 हिन्दी हेतु ईमेल **lawmgkvpvaranasi@gmail.com** पर अपनी प्रस्तुतियो को भेजेंगे। चयनित शोध पत्रो को I.S.B.N. सहित सम्पादित पुस्तक में प्रकाशित करने की योजना उनकी उपलब्धता पर ही है।

पंजीकरण शुल्क

शिक्षाविद एवं अन्य प्रतिभागी	**रूपये 600**
शोधार्थी	**रूपये 400**
संगोष्ठी के दिन पंजीकरण शुल्क	**रूपये 800**

पंजीकरण फार्म इस निमंत्रण पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिभागी पंजीकरण हेतु फार्म के साथ पंजीकरण शुल्क नगद स्वयं विभाग में जमा करें ।

शोध पत्र भेजने का पता

डॉ० रंजन कुमार

आयोजन सचिव

e-mail – lawmgkvpvaranasi@gmail.com